मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१६

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय विधेयक, २०१६

विषय-सूची.

धाराएं:

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन.
४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
५. अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग.
६. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.
८. कुलाधिपति.
९. कुलपति.
१०. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
११. कुलसचिव
१२. वित्त नियंत्रक.
१३. संकायाध्यक्ष.
१४. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.
१५. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
१६. शासी निकाय.
१७. शासी निकाय का गठन.
१८. शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.
१९. कार्य परिषद्.
२०. कार्य परिषद् का गठन.
२१. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२२. विद्या परिषद्.
२३. विद्या परिषद् का गठन.
२४. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२५. वित्त समिति.
२६. प्राध्ययन स्कूल.
२७. परिनियम.
२८. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
२९. अध्यादेश.
३०. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३१. विनियम.
३२. विनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३३. वार्षिक रिपोर्ट.
३४. लेखाओं की संपरीक्षा.
३५. विश्वविद्यालय की निधि.
३६. उपाधि तथा उपाधिपत्र.
३७. सम्मानिक उपाधियां.
३८. उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण.
३९. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.
४०. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.
४१. कठिनाईयों का दूर किया जाना.
४२. अस्थायी उपबंध.
४३. संरक्षण.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१६

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय विधेयक, २०१६

शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिये आधारभूत विज्ञानों, कला, वाणिज्य, विधि और अन्य विषयों के समस्त स्वरूपों में उच्चतम शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को गति देने के लिए एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिये अर्ह किसी प्रमुख महाविद्यालय के उन्नयन की योजना के अंतर्गत शहडोल, मध्यप्रदेश में पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''विद्या परिषद्'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(ग) ''संकायाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के स्कूल का संकायाध्यक्ष;

(घ) ''संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(ङ) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विभाग;

(च) ''कार्य परिषद्'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(छ) ''वित्त नियंत्रक'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक;

(ज) ''शासी निकाय'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का शासी निकाय;

(झ) ''हाल'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई संधारित या मान्यताप्राप्त निवास इकाई, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;

(ञ) ''विहित'' से अभिप्रेत है, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित;

(ट) ''मान्यता प्राप्त संस्था'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यताप्राप्त या उसके साथ संबद्ध कोई उच्च शिक्षण संस्था;

(ठ) ''कुल सचिव'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुल सचिव;

(ड) ''केन्द्र'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित केन्द्र;

(ढ) ''परिनियमों, ''अध्यादेशों'' और ''विनियमों'' से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम;

(ण) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन स्थापित पंडित एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय;

(त) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(थ) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;